न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 04/19 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री भागीरथ पिता मांगीलाल जाट निवासी ढुंढिया तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता वरदा कुम्हार निवासी ढुंढिया तह. मावली।
2. श्री पुष्कर पिता शंकरलाल कुम्हार निवासी ढुंढिया तह. मावली।
3. श्रीमती सोहनीबाई पत्नी शंकरलाल कुम्हार निवासी ढुंढिया तह. मावली।
4. श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी पुष्करलाल कुम्हार निवासी ढुंढिया तह. मावली।
5. श्री माधुलाल पिता मोहनलाल भील निवासी ढुंढिया तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 31.01.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 401 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन धनराज, वरदी, नोजी, भूरी पिता मांगीलाल एवं गोपीबाई बेवा मांगीलाल जाट के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज हैं। जमाबन्दी की नकल प्रार्थनाा पत्र के साथ संलग्न हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन के संयुक्त खातेदारी की है लेकिन उक्त कृषि आराजी आपसी पारिवारिक बंटवाडे में मुझ प्रार्थी के हिस्से पांती में आई है जिस पर मैं प्रार्थी अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा हूं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति अथवा विपक्षीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन विपक्षी सं. 1 से 4 जो मुझ प्रार्थी की उक्त भूमि के पडोसी है जो नाजायज रूप से धनबल एवं बाहूबल के जरिए मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि को हडपना चाह रहे है इसी नियत से दिनांक 15.01.2019 को विपक्षीगण ने आपस में मिलीभगत कर हमसलाह एक राय होकर मुझ प्रार्थी की जमीन के सीमा पर बनी 50 फीट लम्बी कांटो एवं थौहर की बाड को अनाधिकार रूप से काट दी और बाडे में खडे एक 20 साल पुराने विशालकाय हरे नीम के पेड की टहनियों को भी जबरन काट दी और मेरी जमीन पर नीवं खोदने लगे। जिसकी जानकारी मुझ प्रार्थी को होने पर मैने विपक्षीगण को ऐसा करने से मना किया तो विपक्षीगण नहीं माने और

Scanned with CamScanner

मेरे साथ मां बहिन की फौस फौस गाली गलोच करते हुए मरने मारने पर उतारू हुए और धमकी दी कि हमारी मर्जी होगी वैसा करेगा और कोई रोकेगा तो उसके हाथ–पैर काट कर यही पर गाड देगें। इसके पश्चात् मुझ प्रार्थी ने विपक्षीगण के उक्त कृत्य के सम्बन्ध में पुलिस थाना वल्लभनगर में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु निवेदन किया। लेकिन पुलिस थाना वल्लभनगर द्वारा सभी विपक्षीगण के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर केवलमात्र विपक्षी पुष्कर को पाबंद करवा दिया और सभी विपक्षीगण को मौखिक रूप से मौके पर किसी भी प्रकार का कारतामीर नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया गया।

3. यह कि पुलिस थाना वल्लभनगर द्वारा इनको पाबंद करने के बाद कुछ समय तक तो विपक्षीगण ने मेरी भूमि पर कोई कारतीमार नहीं किया। लेकिन दिनांक 23.01.2019 को पुनः विपक्षीगण सभी हमसलाह एक राय होकर आये और रात्री में मेरी उक्त बाड में खडे विशालकाय हरे नीम के पेड को अनाधिकार रूप से विपक्षी सं. 5 की मदद से कटवाकर चोरी कर ले गये और रात्री में ही मेरी एक फीट चौडी एवं 50 फीट लम्बी जमीन पर अतिक्रमण नींव खुदवा दी और नींव भर कर निर्माण कराना शुरू कर दिया। मुझ प्रार्थी को इसकी जानकारी होने पर मैने तुरन्त ही मौके पर विपक्षीगण नहीं माने और मेरे साथ मॉ–बहिनों की फौस फौस गाली गलोच करते हुए लडाई झगडा कर मरने मारने पर उतारू हो गये और धमकी दी कि हम इस जमीन पर हमारी मर्जी होगी वैसा निर्माण करेंगें और कोई आडे आयेगा तो उसको जान से खतम कर देंगे। जबकि विपक्षीगण का मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मुझ प्रार्थी के खाते व कब्जे की है जिस पर मैं प्रार्थी अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूं जिसमें विपक्षीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन विपक्षीगण मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझ प्रार्थी की कांटो व थौहर की बाड को काट दी और बाड में खडे एक विशालकाय नीम के हरे पेड को काटकर चोरी कर ले गये और मेरी एक फीट चौडी एवं 50 फीट लम्बी जमीन में अनाधिकार रूप से अतिक्रमण कर नींव खोद दी और नींव को भरकर उस पर करीब 2 फीट ऊंचाई में दीवार भी निर्माण करवा दी है और मरने मारने पर उतारू हो रहे है और मुझ प्रार्थी को मेरी उक्त जमीन से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, इसमें किसी प्रकार की

Akshay

Scanned with CamScanner

दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, मुझ प्रार्थी की जमीन पर किसी प्रकार की नींव नहीं खोदें, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। अरथाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। अरथाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 23.01.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने मुझ प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण कर नीवं खोद दी तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अरथाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रार्थी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, मुझ प्रार्थी की भूमि पर नींव नहीं खोदे, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नही करें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अरथाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजरथान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अरथाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. <u>*प्रथम दृष्टया मामला–*</u> हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम सहखातेदार के रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी खातेदार होने से

Abhay

Scanned with CamScanner

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर सह खातेदारान के रूप में दर्ज हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। खातेदार काश्तकार नहीं होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करते हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की दाद चाही गई हैं। जो मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय कर दिया जायेगा। प्रार्थी खातेदार होने से यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो इससे प्रार्थी को भारी नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी खातेदार के पक्ष में साबित हुए हैं। प्रकरण में पूर्व में भी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिसे कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 401 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 5 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें। कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, प्रार्थी को उसके हिस्सेनुसार भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Scanned with CamScanner